



2026:AHC:31505-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका सं. - 3211 सन् 2026

अमित कुमार मिश्रा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : धीरज कुमार तिवारी, जावेद आलम

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की गई है: -

"(क). बी.एन.एस. की धारा 303(2), पुलिस स्टेशन नैनी, जिला प्रयागराज के तहत मुकदमा अपराध संख्या 583 सन् 2025 के रूप में दर्ज 29.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को उक्त मामले की अपराध संख्या में निजी प्रतिवादियों के बारे में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 को जांच को पी.एस.नैनी से जिले प्रयागराज के दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(घ) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसकी प्रकृति में यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

(ई) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में पहला मुखबिर है और हालांकि इस मामले में प्राथमिकी 29.10.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता पुलिस आयुक्त, प्रयागराज, जिला प्रयागराज के समक्ष अपनी शिकायत पर प्रकाश डालते हुए और निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर कर सकता है और यदि ऐसा आवेदन पुलिस आयुक्त, प्रयागराज, जिला प्रयागराज के समक्ष किया जाता है, तो पुलिस आयुक्त, प्रयागराज, जिला प्रयागराज/प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करेगा।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"